<u>केवल शासकीय उपयोग हेतु</u>

नगरपालिका निर्वाचन

के लिए

अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप राशि तथा अन्य विभिन्न मदों में प्राप्त आय का लेखा एवं रसीद बुकों का लेखा संधारण करने के संबंध में

निर्देश–पुस्तिका

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

रायपुर - 492 001

क्रमांक रायपुर, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.)
समस्त,
छत्तीसगढ़

विषय:-नगरपालिका आम चुनाव/उप-चुनावों के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप राशि तथा अन्य विभिन्न मदों में प्राप्त आय का लेखा एवं रसीद बुकों का लेखा संधारण करने के संबंध में.

::::

यह देखने में आया है कि नगरपालिकाओं के आम चुनाव/उप-चुनाव में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप राशि का समुचित लेखा, नगरपालिका स्तरीय रिटर्निंग आफिसरों द्वारा नहीं रखा जा रहा है. फलस्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन के अभ्यर्थियों द्वारा जमा निक्षेप राशि एवं उसके निर्वतन की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती. जमा निक्षेप राशि का निर्वतन वापसी द्वारा अथवा राज्य सरकार के पक्ष में जब्ती द्वारा किया जाता है. इन दोनों ही मामलों में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये जमा निक्षेप राशि के सही एवं प्रमाणिक लेखे आवश्यक है. उद्देश्य की पूर्ति के लिये निक्षेप राशि के लेखा संधारण हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. प्रतिभूति निक्षेप राशि के लेखा संधारण के संबंध में:-

1.01 नगरपालिका आम चुनाव/उप-चुनावों के रिटर्निंग आफिसर के स्तर पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराई जाती है. प्राप्त निक्षेप राशि के लेखांकन के लिये नगरपालिका स्तरीय रिटर्निंग आफिसरों द्वारा संलग्न प्रपत्र-01 में निक्षेप राशि लेखा रजिस्टर संधारित किया जाए. प्रथमतः निक्षेप राशि प्राप्त होने पर इस रजिस्टर के कालम (1) से (7) की पूर्ति की जावे.

1.02 निर्वाचन/उप निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस रजिस्टर की समीक्षा की जावे एवं कालम-8 की पूर्ति भी की जावे. समीक्षा के अंतर्गत संबंधित निर्वाचन/उप निर्वाचन में प्राप्त निक्षेप राशियों की प्रविष्टि के बाद रजिस्टर में ही निम्नांकित बिन्दुओं की जानकारी दर्शाते हुए एक गोशवारा बनाया जावे:-

(1) पदवार अभ्यर्थियों की कुल संख्या एवं प्राप्त निक्षेप राशि.

(2) प्रतिभूति निक्षेप जप्ती के अभ्यर्थियों की पदवार संख्या एवं राशि.

(3) आयोग के प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत कोषालय में जमा की गई जप्त निक्षेप राशि, उनके चालान क्रमांक/दिनांक एवं कोषालय का नाम.

(4) कोषालय में जमा करने के लिये शेष जप्त निक्षेप राशि.

(5) प्रतिभूति निक्षेप वापसी के अभ्यर्थियों की पदवार संख्या एवं राशि.

(6) वापस की गई प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं उनके अभ्यर्थियों की संख्या.

(7) वापसी योग्य शेष निक्षेप राशि एवं उनके अभ्यर्थियों की पदवार संख्या.

(8) डिपाजिट हेड में जमा की गई वापसी योग्य राशि जिनके आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं एवं उनके अभ्यर्थियों की पदवार संख्या. इन जानकारियों को सम्यक्‌रूप से दर्शाने के लिये प्रपत्र-02 में प्रोफार्मा निर्धारित किया जाकर संलग्न है. कोषालय में जमा की गई राशियों के संबंध में चालान क्रमांक, दिनांक, कोषालय का नाम एवं राशि उक्त प्रोफार्मा के अभ्युक्ति स्तम्भ में दर्शाई जावे.

1.03 नियमानुसार जिन अभ्यर्थियों की निक्षेप राशि जप्त कर ली गई है, उसे चालान से कोषालय में आयोग के प्राप्ति शीर्ष **''0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 02-चुनाव, 800-अन्य प्राप्तियां, राज्य चुनाव आयोग की प्राप्तियों के अन्तर्गत''** में तत्काल जमा किया जाए, जिन अभ्यर्थियों की प्रतिभूति निक्षेप राशि वापसी योग्य है, उनकी वापसी के लिये स्थिति अनुसार आवेदन **प्रपत्र-03** अथवा **प्रपत्र-04** में प्राप्त होने पर सत्यापन उपरान्त तत्काल भुगतान किया जावे. छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 418 के उपबंधों के पालन हेतु प्रत्येक निक्षेप वापसी अथवा कोषालय में जमा को निक्षेप पंजी में दर्ज मूल प्रविष्टि के विरूद्ध अंकित किया जाए तथा उक्त आशय का प्रमाण-पत्र वापसी के प्रमाणकों में भी अंकित किया जाए. जमा धन राशि की वापसी के लिये यदि कार्यालय में कोई आवेदन-पत्र लंबित नहीं हो, तो ऐसी समस्त वापसी योग्य निक्षेप राशि चालान से कोषालय में डिपाजिट हेड **''8443-सिविल जमा राशियां, 800-अन्य जमा, नगरपालिका चुनाव हेतु प्रतिभूति (निक्षेप) की राशि''** शीर्ष के अंतर्गत तत्काल जमा कराई जावे. रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन/उप निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के 15 दिन के अन्दर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कर जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को इसका विवरण (दो प्रतियों में) भेजा जाए. यह विवरण संलगन **प्रपत्र-05** में तैयार किया जाए. इस विवरण के साथ ही रिटर्निंग आफिसर, अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप की राशि का उपरोक्त रजिस्टर, वापस की गई राशि के आवेदन पत्र, पावतियां एवं कोषालय में जमा की गई राशि के चालान, जारी की गई रसीदों के कट्‌टे भी जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त उपरोक्त विवरणों को समेकित रूप से दर्शाने वाला एक रजिस्टर उसी प्ररूप **(प्ररूप-05)** में संधारित किया जाए. जिसमें रिटर्निंग आफिसरों से प्राप्त जानकारी का लेखा रहेगा.

1.04 नगरपालिकाओं के निर्वाचन/उपनिर्वाचन की प्रतिभूति निक्षेप एवं अन्य कोई भी प्राप्तियां किसी भी हालत में किसी बैंक में खाता खोलकर न रखी जावें. ऐसा करना वर्जित है. यदि वित्तीय नियमों के विपरीत ऐसा किया गया, तो संबंधित अधिकारी अनुशासनातमक कार्यवाही का दायी होगा.

1.05 जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में निक्षेप राशि का सम्पूर्ण लेखा जमा करने के बाद प्रतिभूति निक्षेप राशि वापस करने के लिये संबंधित अभ्यर्थियों से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं तो वे उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी इन आवेदन-पत्रों का संबंधित अभिलेख से सत्यापन करके रिफण्ड बिल बनाकर रिटर्निंग आफिसर को पृष्ठांकित करके भेजेगें. रिटर्निंग आफिसर ऐसे बिलों को कोषालय से आहरित करके संबंधित अभ्यर्थियों को भुगतान करने के तत्काल बाद भुगतान की पावतियां जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे.

2. रसीद बुकों (सी.जी.टी.सी.-6) के स्कंध लेखा संधारण के संबंध में:-

2.01 त्रिस्तरीय पंचायतों/नगरपालिकाओं के आम चुनाव/उपचुनावों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जारी की जाने वाली रसीद बुकों (सी.जी.टी.सी.-6) का स्कंध लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में समुचित रूप से नहीं रखा जाता. जिसके कारण शासकीय लेखन सामग्री भंडार से प्राप्त रसीद बुकों की संख्या एवं रिटर्निंग आफिसर आदि को जारी रसीद बुकों की संख्या तथा बचत संख्या की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती. इसकी सही एवं प्रामाणिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के कार्यालय में रसीद बुकों (सी.जी.टी.सी.-6) की प्राप्ति एवं प्रदाय तथा उपयोग पश्चात् वापसी को दर्शाने हेतु एक रजिस्टर संलग्न प्रपत्र-6 के प्ररूप में संधारित किया जाए.

2.02 रिटर्निंग आफिसर को प्रतिभूति निक्षेप एवं अन्य मदों की प्राप्त हेतु प्रदाय की गई रसीद बुक, उसके लेखे एवं पंजियों के साथ अनिवार्य रूप से वापस प्राप्त की जावे तथा उनको प्रदाय की गई रसीद बुकों से मिलान कर लिया जावे. मिलान में यदि कोई रसीद बुक कम पायी जाती है तो उसके लिये रिटर्निंग आफिसर को तत्काल लिखा जावे. प्राप्त रसीद बुकों में यदि बिना उपयोग की हुई कोरी रसीद बुकें प्राप्त होती है तो उन्हें स्कंध पंजी में पूर्ण विवरण सहित प्राप्ति में लिया जावे. आंशिक रूप से उपयोग की गई रसीद बुकें भी काफी संख्या में प्राप्त हो सकती हैं. अतः इनकी कोरी रसीदों को भी आगामी निर्वाचन/ उप-निर्वाचन के समय उपयोग करने के लिए पूर्ण विवरण सहित स्कंध पंजी में, प्राप्ति में लिया जावे.

3. अन्य विविध मदों के आय के लेखा संधारण के संबंध में:-

3.01 नगरपालिकाओं के आम चुनाव/उपचुनावों में प्रतिभूति निक्षेप के अलावा अन्य विभिन्न मदों में भी आय प्राप्त होती है, जैसे- मतदाता सूची का विक्रय. फार्मस् तथा साहित्य का विक्रय, निरीक्षण/नकल शुल्क, चुनौती दिये गये मतपत्रों से संबंधित जप्तियां आदि. इस प्राप्तियों की प्रमाणिक जानकारी के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक

नगरपालिका स्तरीय रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में इन प्राप्तियों का लेखा दर्शाने वाला एक रजिस्टर संधारित किया जाए, प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर अन्य विभिन्न मदों में प्राप्त आय की प्रमाणिक जानकारी के लिए एक रजिस्टर संलग्न प्रपत्र–07 में संधारित किया जावे. निर्वाचन/उप–निर्वाचन के तत्काल बाद इस रजिस्टर की समीक्षा की जाए. समीक्षा के अंतर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त आय का योग तथा कोषालय में उन्हें जमा करने का पूर्ण विवरण उसमें दर्शाया जावे. ऐसी समस्त आय राशियां चालान से कोषालय में आयोग के प्राप्ति शीर्ष ''0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 02–चुनाव, 800–अन्य प्राप्तियां, राज्य चुनाव आयोग की प्राप्तियों के अंतर्गत'' में तत्काल जमा किया जाए, चुनावों/उपचुनावों के 15 दिन के अन्दर प्रतिभूति निक्षेप के विवरण के साथ इसका विवरण (दो प्रतियों में) भी जिला निर्वाचन अधिकारी को संलग्न प्रपत्र–8 के प्ररूप में तैयार कर भेजा जावे. इस विवरण के साथ ही रिटर्निंग आफिसर विभिन्न मदों की प्राप्तियों का उपरोक्त संधारित रजिस्टर तथा जारी की गई रसीदों के कट्टे भी जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त उपरोक्त विवरणों को समेकित रूप से दर्शाने वाला एक रजिस्टर उसी प्ररूप (प्रपत्र–8) से संधारित किया जाए.

4. नगरपालिका आम चुनाव/उप–चुनावों के संबंध में रिटर्निंग आफिसर का आयोग को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन में प्रतिभूति निक्षेप की प्राप्त जानकारी उपरोक्त प्रपत्र–05 में एवं निर्वाचन की अन्य प्रतियों की प्राप्त जानकारी उपरोक्त प्रपत्र–08 में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के 20 दिन के अन्दर तैयार कर आयोग को भेजेगा.

5. छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग–एक के सहायक नियम 53(1) के अनुसार शासन की ओर से धन प्राप्तकर्ता को फार्म सी.जी.टी.सी.–5 पर एक कैश बुक संधारित करना चाहिए. रिटर्निंग आफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कार्य करता है. रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त निक्षेप राशि एवं वापस की गई निक्षेप राशि तथा अन्य राशियों की प्राप्ति का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी की कैश बुक में अनिवार्य रूप से समामेलित की जाना चाहिए. अतः नगरपालिकाओं के निर्वाचन/उप–निर्वाचन के पश्चात् ऊपर पैरा 1 एवं 3 में दिये गये निर्देशानुसार रिटर्निंग आफिसरों से निक्षेप राशि का लेखा एवं अन्य प्राप्तियों का लेखा प्राप्त होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा उसकी जांच करायी जाकर अपने कार्यालय के कैश बुक में, सार रूप में, इनकी प्राप्तियों एवं कोषालय में जमा/वापसियों की प्रविष्टियां करायी जावे. ऐसे रजिस्टरों की प्रविष्टियों का मिलान कैश बुक में की गई प्रविष्टियों से किसी जिम्मेदार कर्मचारी से कराया जावे तथा संबंधित रजिस्टरों में इस आशय का एक प्रमाण–पत्र भी अंकित कराया जावे.

संलग्न :– आठ प्रपत्र

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
छत्तीसगढ़, रायपुर

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u> <u>प्रपत्र–01</u>

कार्यालय रिटर्निंग आफिसर, नगरपालिका...,जिला...............................

नगरपालिका आम चुनाव/उपचुनाव अवधि. . . . . .के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप राशि की पंजी

क्र.	रसीद क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	अभ्यर्थिता का पद	अभ्यर्थी का वर्ग	प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप राशि	प्रभारी कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर	निक्षेप राशि के निवर्तन का तरीका (जप्ती) वापसी	कोषालय में जमा/वापसी का दिनांक	जमा/वापस की गई राशि	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	प्रभारी कर्मचारी एवं प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

नगरपालिका आम चुना/उपचुनाव अवधि. . . . . . . .के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप राशि का गोशवारा

स. क्र.	विवरण	पार्षद		न.पा. अध्यक्ष/महापौर		कुल योग		अभ्युक्ति
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	अभ्यर्थियों की कुल संख्या							
2.	जप्त निक्षेप की राशि:–							
	(क) कोषालय में जमा							
	(ख) शेष राशि							
3.	वापसी योग्य कुल राशि:–							
	(क) वापस की गई राशि							
	(ख) वापसी के लिए शेष राशि जिनके आवेदन प्राप्त नही हुए.							
	(ग) डिपाजिट हेड में जमा राशि.							
	कुल योग. . .							

....

रिटर्निंग आफिसर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रतिभूति (निक्षेप) राशि की वापसी के लिए आवेदन-पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला आवेदन-पत्र)

प्रेषक,

नाम..

पता...

....

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत..

जिला...

विषयः-छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 26 के अधीन जमा प्रतिभूति (निक्षेप) राशि की वापसी.

महोदय,

मैं, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत...................................के वार्ड क्रमांक. . . . . . के पार्षद के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी था/थी.

2. मैंने उक्त निर्वाचन के लिए कोषालय/उप-कोषालय.................................... में आपके कार्यालय में, रसीद क्रमांक. . . . . . .के अधीन तारीख. . . . . . .को रूपये. . . . . .की धनराशि प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के तौर पर जमा की थी.

3. मेरा नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया था.

4. मैंने अपनी अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) ठीक समय के अंदर वापस ले ली थी/वापस नहीं ली थी.

5. मैं निर्वाचन में निर्वाचित (हुआ था/नहीं हुआ था)/(हुई थी/नहीं हुई थी) तथा मुझे इस निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों के एक छठे भाग से अधिक मत प्राप्त हुए थे.

6. मैं निवेदन करता/करती हूं कि कंडिका 2 में उल्लेखित प्रतिभूति (निक्षेप) राशि मुझे वापस कर दी जाए.

7. मै. एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन-पत्र में दिये गये सभी कथन मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं.

स्थान .... भवदीय

तारीख ....

....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर तथा नाम

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u> <u>प्रपत्र-04</u>

प्रतिभूति (निक्षेप) राशि की वापसी के लिए आवेदन-पत्र

(अभ्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा दिया जाने वाला आवेदन-पत्र)

प्रेषक,

नाम...

पता...

....

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत...

जिला...

विषयः-छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 26 के अधीन जमा प्रतिभूति (निक्षेप) राशि की वापसी.

महोदय,

स्वर्गीय श्री...

पिता/पति श्री...

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....................................के वार्ड क्रमांक. . . . . . .से पार्षद के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी थे/थी. तारीख. . . . . को उनकी मृत्यु हो गई है और मैं उनका विधिक प्रतिनिधि हूं.

2. उन्होंने उक्त निर्वाचन के लिए कोषालय/उप-कोषालय.......................... में, आपके कार्यालय में, रसीद क्रमांक. . . . . .के अधीन तारीख. . . . . . . .को रूपये. . . . . की धनराशि प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के तौर पर जमा की थी.

3. उनका नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया था.

4. उन्होनें अपनी अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) ठीक समय के अंदर वापस ले ली थी/ वापस नहीं ली थी.

5. यह निर्वाचन में निर्वाचित हुए थे/नहीं हुए थे तथा उन्हें इस निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों के एक छठे भाग से अधिक मत प्राप्त हुए थे.

6. मैं निवेदन करता/करती हूं कि कंडिका 2 में उल्लेखित प्रतिभूति (निक्षेप) राशि उनके विधिक प्रतिनिधि के नाते मुझे वापस कर दी जाए.

7. मैं एतद्द्वारा घोषण करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन-पत्र में दिये गये सभी कथन मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं.

संलग्नः- विधिक प्रतिनिधि होने के प्रमाण में आवश्यक दस्तावेज.

स्थान .... भवदीय

तारीख ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर तथा नाम

नगरपालिका निर्वाचन प्रपत्र–05

नगरपालिका आम चुनाव/ उपचुनाव अवधि. . . . . .के अभ्यर्थियो से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप राशि का विवरण

अनु. क्र.	नगरपालिका का नाम	निर्वाचन अवधि	निर्वाचन का पद	ग्राम निक्षेप राशि का विवरण			जप्त निक्षेप राशि का विवरण			वापसी योग्य राशि का विवरण		कुल शेष राशि (10+12)	कालम 10 एवं 12 की शेष राशि कहां रखी गई हे तथा उसका कारण	अभ्युक्ति
				कुल प्राप्त निक्षेप राशि	जप्त निक्षेप राशि	वापसी योग्य निक्षेप	कोषालय में जमा राशि	चालान क्र./ दिनांक	शेष राशि	वापस की गई निक्षेप राशि	शेष राशि			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

निर्वाचन का पद कामल (4) में पालिका चुनाव/उप–चुनाव के अंतर्गत पार्षद एवं महापौर/अध्यक्ष की जानकारी दी जावे.

....
रिटर्निंग आफिसर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रपत्र–06

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला................................

रसीद बुक (सी.जी.टी.सी.–6) की स्कंध पंजी

(रसीद बुकों की प्राप्ति एवं प्रदाय से संबंधित पंजी)

अनु. क्र.	रसीद बुकों की प्राप्ति का विवरण						रसीद बुकों के प्रदाय का विवरण					बचत रसीद बुकों की संख्या	उप जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर	उपयोग पश्चात् वापस प्राप्त होने का दिनांक एवं विवरण
	प्राप्ति का दिनांक	शासकीय मुद्रणालय का देयक क्र. /दिनांक	रसीद बुकों की कुल संख्या	रसीद बुकों का क्रमांक	प्रत्येक रसीद बुक में रसीदों की संख्या	उप जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर	प्रदाय दिनांक	प्राप्तकर्ता रिटर्निंग आफिसर का पदनाम एवं स्थान	प्रदाय की गई रसीद बुकों की संख्या	रसीद बुकों के क्रमांक	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

नगरपालिका निर्वाचन प्रपत्र–07

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, नगरपालिका............................, जिला................................

नगरपालिका आम चुनाव/उप–चुनाव अवधि. . . . . .के अन्तर्गत प्राप्त आय की पंजी

(अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप की राशि को छोड़कर)

अनु. क्र.	रसीद क्रमांक दिनांक	राशि जमा करने वाले का नाम	राशि जमा करने का प्रयोजन	जमा की गई राशि	रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर	कोषालय में राशि जमा करने का विवरण		शेष राशि	कार्यालय का नाम जहां शेष राशि रखी गई है	प्रभारी कर्मचारी एवं प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
						चालान क्र. /दिनांक	जमा की गई राशि			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

नगरपालिका निर्वाचन

प्रपत्र-08

नगरपालिका आम चुनाव/उप-चुनाव अवधि. . . . . में हुई आय का मदवार विवरण
(अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर)

अनु. क्र.	नगरपालिका का नाम	निर्वाचन अवधि	मतदाता सूची का विक्रय	नाम निर्देशन पत्र, अन्य दूसरे फार्मस तथा साहित्य का विक्रय	अभिलेख निरीक्षण शुल्क/नकल	चुनौती दिये गये मतपत्रों से संबंधित जप्तियां	अन्य प्रतियां	कुल योग	कोषालय में जमा की गई राशि	जमा राशि का चालान क्र./दिनांक	शेष राशि	शेष राशि कहां रखी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

रिटर्निंग ऑफिसर/
उप-जिला निर्वाचन अधिकारी.